www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग),
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक, 17.06.2017

सीबीआई ने श्री अनुराग तिवारी (आई.ए.एस.अधिकारी) की कथित हत्या के सन्दर्भ में मामला दर्ज किया

सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के निवेदन एवं इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अधिसूचना पर श्री अनुराग तिवारी, 2007 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी की कथित हत्या के सन्दर्भ में मामला दर्ज किया। सीबीआई ने हजरत गंज पुलिस स्टेशन, जिला लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में उनके बड़े भाई द्वारा पूर्व में दिनांक 22.05.2017 को अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 411 की जॉच को अपने हाथों में लिया।

स्र्वगीय श्री अनुराग तिवारी 2007 बैच के कर्नाटक संवर्ग के आई.ए.एस.अधिकारी थे। दिनांक 17.05.2017 को सुबह लखनऊ में उनका मृत शरीर पाया गया था।

सीबीआई की एक टीम आगे की जॉच के लिए लखनऊ पहुँच गई है।

****